भारत सरकार
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या: 3055
दिनांक 21 दिसम्बर, 2023

सीएनजी और पीएनजी में सीबीजी का सम्मिश्रण

†3055. श्री राजा अमेरेश्वर नाईक:
श्री विनोद कुमार सोनकर:
डॉ. सुकान्त मजूमदार:
श्री भोला सिंह:

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार का देश में संपीड़ित बायो-गैस (सीबीजी) के उपयोग और इसे अपनाए जाने को बढ़ाने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का सीबीजी सम्मिश्रण दायित्व (सीबीओ) को वर्ष 2024-25 तक स्वैच्छिक और वित्त वर्ष 2026 से अनिवार्य बनाने का भी विचार है;

(ग) यदि हां, तो क्या सीबीजी सम्मिश्रण दायित्व (सीबीओ) देश में सीबीजी के उत्पादन और उपभोग को बढ़ावा देगा;

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार ने परिवहन और पीएनजी (घरेलू गैस) खंडों के लिए सीएनजी में सीबीजी के चरण-वार अनिवार्य सम्मिश्रण की घोषणा की है और यदि हां तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ड.) सरकार द्वारा सिटी गैस वितरण (सीजीडी) क्षेत्र में सीबीजी की मांग को प्रोत्साहित करने, तरलीकृत प्राकृतिक गैस (एलएनजी) के लिए आयात प्रतिस्थापन और निवल शून्य उत्सर्जन के लक्ष्य को प्राप्त करने में सहायता करने के लिए अन्य क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

उत्तर
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री रामेश्वर तेली)

(क) से (ङ) सरकार ने प्राकृतिक गैस के साथ विभिन्न अपशिष्टों/बायोमास स्रोतों से संपीडित जैव गैस (सीबीजी) के उत्पादन और प्राकृतिक गैस साथ इसके उपयोग को बढ़ावा देने के लिए एक पारितंत्र स्थापित करने के प्रयोजन से दिनाँक 1 अक्टूबर, 2018 को "किफायती परिवहन के लिए दीर्घकालिक विकल्प (सतत)" पहल की शुरूआत की थी। इस पहल के अन्तर्गत तेल और गैस विपणन कम्पनियों (ओजीएमसीज) ने संभावित उद्यमियों से सीबीजी की अधिप्राप्ति करने के निमित्त रुचि की अभिव्यक्ति (ईओआई) आमंत्रित की है। दिनाँक 01.11.2023 की स्थिति के अनुसार, सतत पहल के अन्तर्गत पचास सीबीजी परियोजनाएँ चालू की गईं हैं।

इसके अलावा, सरकार ने सीजीडी नेटवर्क में सीएनजी के साथ सीबीजी को समेकित करने के लिए नगर गैस वितरण (सीजीडी) नेटवर्कों के संपीडित प्राकृतिक गैस (परिवहन) एवं पाइप्ड प्राकृतिक गैस (घरेलू) खंडों को आपूर्ति के लिए घरेलू गैस के सह-मिश्रण हेतु दिशानिर्देश भी जारी किए हैं।

देश में सीबीजी के उत्पादन और खपत को प्रोत्साहित करने के लिए दिनाँक 24.11.2023 को राष्ट्रीय जैवईंधन समन्वय समिति (एनबीसीसी) ने सीजीडी क्षेत्र के सीएनजी (परिवहन) एवं पीएनजी (घरेलू) खंडों में सीबीजी के अनिवार्य मिश्रण को चरणबद्ध तरीके से शुरू करने के लिए संस्वीकृति प्रदान की है। सीबीजी मिश्रण दायित्व (सीबीओ) वित्त वर्ष 2024-25 तक स्वैच्छिक रहेगा और वित्त वर्ष 2025-26 से अनिवार्य मिश्रण दायित्व आरंभ किया जाएगा। वर्ष 2025-26, वर्ष 2026-27 और वर्ष 2027-28 के लिए कुल सीएनजी/पीएनजी का खपत का क्रमशः 1%, 3% और 4% रखा जाएगा। वर्ष 2028-29 से आगे सीबीओ 5% होगा।

इन उपायों से देश में गैस आधारित और चक्रीय अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहित करने, फॉरेक्स में बचत तथा निवल शून्य उत्सर्जन का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए सीबीजी की उपलब्धता को बढ़ाने में मदद मिलेगी।

****